

28/4/25

अधिवक्ता अपीलेंट अगुनी प्रकरण में अपीलेंट
के अधिवक्ता की ओर से नो-स्ट्रेशन प्ली
रिया जा चुका है एवं अपीलेंट से संपर्क
नहीं होने बाबत भी रुचन रिया है प्रकरण
में न तो अपीलेंट का पंजीकृत पता अंकित है
एवं न ही मोबार्ल नंबर अंकित है ऐसी
स्थिति में प्रकरण के संबंध में अपीलेंट से
संपर्क रिया जाना संभव नहीं है अतः
प्रकरण की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते
दुरु पत्रावली अदम हाजिरी अदम फैली
में खारिज की गयी है पत्रावली फैसल
सुमार लेकर बाद आवश्यक कार्यवाही दायित्व
व्यक्त है।